न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 163/2017 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956)

मृतक रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहमण निवासी आलनपुर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर (राजस्थान)।

1. रमेशचन्द पुत्र स्व0 रामचन्द जाति ब्राहमण निवासी आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)।

2. राजकुमार पुत्र स्व0 रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर लैण्ड होल्डर।
2. नगर पालिका जरिये चैयरमेन सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडेन्टस

द्वितीय अपील विरूद्ध जिला कलक्टर सवाई माधोपुर निर्णय दिनांक 27.10.2015 एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर निर्णय दिनांक 16.3.2001 व सिलसिले उनवानी रामचन्द्र बनाम सरकार वगैरह नामान्तरकरण संख्या 481 दिनांक 17.3.2001 वाकै ग्राम आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री आविद अली वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री विक्रान्त गोतम वकील रैस्पो0संख्या –2

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय

दिनांकः– 30.01.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 27.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी के संदर्भ में तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 481 दिनांक 16.3.2001 को मुताबिक रिकार्ड व व आदेश प्राधिकृत अधिकारी(भू0रू0) उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर की अनुपालना में खातेदारी से सिवायचक (नगर पालिका सवाई माधोपुर) का नामान्तरकरण तहसीसलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 17.3.2001 को स्वीकार किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के यहां भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत अपील पेश की गई। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2015 पारित कर अपीलान्ट की अपील खारिज की दी गई। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि हर दो तहत अदालतों द्वारा दोनों ही कार्यवाहीयों में न तो अपीलान्टस को नोटिस दिया गया है। न कोई सूचना दी गई है। अपीलान्टस को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है। अवैधानिक तरीके से अपीलान्ट की बैक पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 481 तस्दीक किय गया है इसी क्रम में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा भी अपीलान्ट के इन तथ्यों पर गौर न कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो काबिले मंसूखी है। हर दो अदालतों ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि यह आराजी ख0नं0 338 रकबा 8 विस्बा एवं ख0नं0 335 रकबा 3 विस्बा कुल किता 2 रकबा 11 विस्बा प्रार्थी/अपीलान्ट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है, जिसे आवाप्त किये जाने की सूचना भी अपीलान्ट को नहीं दी गई एवं कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज कर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया है। उक्त आराजी पर मौके पर कोई मकान भी नहीं है यह भूमि कृषि कार्य में उपयोग में ली जा रही है जिस पर बदस्तूर अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट का कब्जा होते हुये भी सिवायचक नगर पालिका के नाम दर्ज करने में बहुत बडी भूल की है। इस तरह किसी भी नागरिक के मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता । इसलिऐ ये नोटिफिकेशन अवाप्ति स्वतः ही निरस्त हो चुकी है। उपरोक्त तमाम तथ्यों को नजरअंदाज कर तहत अदालत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा यह अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जिससे अपीलान्ट को सख्त हकतलफी पैदा हो रही है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2015 खारिज करते हुये नामान्तरकरण संख्या 481 दिनांक 17.3.2001 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण खोलने के आदेश प्रदान किये जावें।

वकील रैस्पोडेन्टस द्वारा तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2015 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर एवं बाद परीक्षण ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। वकील रैस्पोडेन्टस द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस उठाये गये तथ्य कि सुना नहीं गया, 90 बी कार्यवाही विधिविरूद्ध है, भूमि आवाप्ति कर ली है, मुआवजा नहीं दिया गया है इन सभी तथ्यों का एक सिरे से खण्डन करते हुये तर्क किया कि सर्वे रिपोर्ट अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में स्थिति मुताबिक राजस्व रिकार्ड में उल्लेखित कृषि भूमि पर सर्वे रिपोर्ट में उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा बिना विधिवत अनुमति प्राप्त किये ही अकृषि प्रयोजनार्थ अर्थात आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। जिस पर परीक्षण न्यायालय (प्राधिकृति अधिकारी (भू0रू0)एसडीओ सवाईमाधोपुर) ने विधिवत कार्यवाही अमल में लाते हुये जरिये प्रकाशन सम्बन्धितों को आपत्ति/एतराज प्राप्ति हेतु नोटिस जारी किये गये एवं नियत समयावधि में प्राप्त एतराजों का भी नियमानुसार निस्तारण किया गया है। तदोपरान्त भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 90 बी के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है जिसकी पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 481 दिनांक 16.3.2001 स्वीकृत हुआ है । लिहाजा इस

Web Copy Not Official

कार्यवाही को विधिसंगत माने जाने में तहत अदालत द्वारा कतई कोई विधिक त्रुटी नहीं की है। इसके अलावा मुआवजे का प्रश्न उठाया जाना भी बेबुनियाद है यह कार्यवाही 90 बी के अंतर्गत की गई है न कि भूमि आवाप्ति की गई है। 90 बी की कार्यवाही के अंतर्गत मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है ऐसी स्थिति में अपील बिना कोई ठोस आधार के पेश की गई है खारिज योग्य रहती है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्टस द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश विधि संगत होने के कारण यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा इस प्रकरण में मुख्यतः बिन्दु जो उठाये है वह परीक्षण न्यायालय की कार्यवाही को विधि–विरूद्ध मानना, सुनवाई का अवसर न दिया जाना, भूमि का बिना सुनवाई आवाप्त किया जाना एवं आवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा न मिलना होना माना है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृर्षि भूमि को बिना विधिक अनुमति अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने के कारण व हैसियत प्राधिकृति अधिकारी (भू0रू0)एसडीओ सवाईमाधोपुर ने विधिवत कार्यवाही अमल में लाते हुये जरिये प्रकाशन सम्बन्धितों को आपत्ति/एतराज प्राप्ति हेतु नोटिस जारी किये गये एवं नियत समयावधि में प्राप्त एतराजों का भी नियमानुसार निस्तारण किया गया है। तदोपरान्त भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 90 बी के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है जिसकी पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 481 दिनांक 16.3.2001 स्वीकृत हुआ है । लिहाजा इस कार्यवाही को विधिसंगत माने जाने में तहत अदालत द्वारा कतई कोई विधिक त्रुटी नहीं की है। यह तथ्य भी न्यायसंगत है कि 90 बी की कार्यवाही में मुआवजे का प्रावधान नहीं है। अपीलान्ट का यह कहना कि भूमि आवाप्ति कर ली गई है और मुआवजा भी नहीं दिया गया उचित नहीं है क्यों कि इस प्रकरण में न तो भूमि आवाप्त की गई है और न ही 90 बी की कार्यवाही में कोई मुआवजे का प्रावधान है। अदालत हाजा के समक्ष भी अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि तहत अदालतों द्वारा उनको सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2015 किसी भी सूरत में विधि विरूद्ध नहीं माना जा सकता। लिहाजा तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2015 में कोई विधिक त्रुटी न पाये जाने के कारण अपील खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटी न पाये जाने के कारण यह अपील खारिज की जाती है तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

Web Copy - Not Official